

पत्रांक :-3/संपुष्टि-6-64/2013 ज.स..... राँची, दिनांक.....

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग,
आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या 6996 दिनांक 7.12.12 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100 पी0बी0-III ग्रेड पे . 7600/- को, एतद् द्वारा संपुष्टि किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम/ कार्यालय का नाम/आई0 डी0 कोड/जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी0बी0-III) एवं वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे रु0 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री कुलानन्द झा/ जे0 2980 A/ 2.01.1950/ गालुडीह दायों नहर प्रमण्डल संख्या-1, मुसाबनी, शिवर-गालुडीह	23.01.73	1.09.08	

- अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम0ए0सी0पी0 के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।
- सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह
(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

ह
(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, ईचा-गालुडीह कम्प्लेक्स आदित्यपुर/कार्यपालक अभियंता, गालुडीह दायों नहर प्रमण्डल संख्या-1 मुसाबनी, शिविर- गालुडीह को श्री कुलानन्द झा, कनीय अभियंता का सेवा पुस्त मूल तीन भाग के साथ/संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग,
आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 10770 दिनांक 31.12.1981, 5207 दिनांक 14.08.2002 तथा 1038 दिनांक 26.05.2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार जल संसाधन विभागान्तर्गत निम्नलिखित कनीय अभियंता को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति/ए0सी0पी0 योजना के तहत औपबंधिक रुप से स्वीकृत प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लाभ को एतद् द्वारा संपुष्ट किया जाता है।

क्र० सं०	सरकारी सेवक का नाम/आई0 डी0 कोड/ जन्मतिथि/ वर्तमान पदस्थापन/ नियुक्ति तिथि	प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की तिथि	प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति का आदेश संख्या	12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए0सी0पी0 योजना के तहत स्वीकृत प्रथम वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान 6500-10500 देय तिथि	24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए0सी0पी0 योजना के तहत स्वीकृत प्रथम वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान 10000-15200 देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह/ जे0 5855/ 14.07.1952/ सिंचाई प्रमण्डल, बड़हरवा/ 02.02.1979	2.02.89	5564/ 27.8.90	09.08.1999	02.02.2003	

- इस कनीय अभियंता के संबंध में अगर यह पाया गया कि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के तहत लाभ नियमानुकूल नहीं है अथवा गलत सूचना के आधार पर दी गयी है तो लाभ संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।
- ए0सी0पी0 योजना 09.08.1999 से लागू है लेकिन वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ 15.11.2000 से देय है।
- सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

(मनोज कुमार,)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर /अधीक्षण अभियंता सिंचाई अंचल, साहेबगंज/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बड़हरवा/संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....6409.....

राँची, दिनांक.....29-10-13.....

प्रतिलिपि :- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

पत्रांक :-3/संपुष्टि-6-63/2013 ज.स..... राँची, दिनांक.....

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग,
आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या 6674 दिनांक 23.11.12 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100 पी0बी0-III ग्रेड पे 7600/- को एतद् द्वारा संपुष्टि किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम/ कार्यालय का नाम/आई0 कोड/जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी0बी0-III) एवं वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे रु0 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री सुनील कुमार वर्मा/ जे0 4990/ 20.07.59/ लधु सिंचाई प्रमण्डल, गढ़वा	5.02.79	5.02.09	

- अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम0ए0सी0पी0 के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।
- सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह -

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह -

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गढ़वा को श्री सुनील कुमार वर्मा, कनीय अभियंता का सेवा पुस्त मूल तीन भाग के साथ/संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-..... 6411.....

राँची, दिनांक 20-10-13

प्रतिलिपि :- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

20/10/13

पत्रांक :-3/संपुष्टि-6-58/2013 ज.स..... राँची, दिनांक.....

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग,
आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या 6674 दिनांक 23.11.12 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रुप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100 पी0बी0-III ग्रेड पे . 7600/- को एतद् द्वारा संपुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम/ कार्यालय का नाम/आई0 कोड/ जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरुप एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी0बी0-III) एवं वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे रु0 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री पूरण प्रसाद सिंह/ जे0 7239/ 23.02.1954/ लधु सिंचाई प्रमण्डल, जमशेदपुर	4.07.79	4.07.09	

- अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम0ए0सी0पी0 के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।
- सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार,
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार,
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, लधु सिंचाई, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, जमशेदपुर को श्री पूरण प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता का सेवा पुस्त मूल जिल्द में के साथ/संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

6-
(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-..... 6425

राँची, दिनांक..... 29-10-13

प्रतिलिपि :- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

29/10/13

पत्रांक :-3/सम्पुष्टि-6-47/2013 ज.स..... राँची, दिनांक.....

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग,
आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या 6674 दिनांक 23.11.12 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रुप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100 पी0बी0-III ग्रेड पे 7600/- को एतद् द्वारा संपुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम/ कार्यालय का नाम/आई0 डी0 कोड/जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी0बी0-III) एवं वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे रु0 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री उदय नारायण/ जे05287/ 03.09.56/जलपथ अंचल, राँची	05.02.79	05.02.09	

- अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम0ए0सी0पी0 के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।
- सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, राँची को श्री उदय नारायण, सहायक अभियंता, चालु प्रभार का सेवा पुस्त तीन भाग मूल में, के साथ/संबंधित सहायक अभियंता, चालु प्रभार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

ह-
(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-..... 6440

राँची, दिनांक..... 30.10.13

प्रतिलिपि :- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

जसि.13
(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

27/10/13

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग,
आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या 262 दिनांक 27.01.12, 2886 दिनांक 19.10.11 एवं 6996 दिनांक 7.12.12 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रुप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100 पी0बी0-III ग्रेड पे .7600/- को एतद् द्वारा संपुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम/ कार्यालय का नाम/आई0 डी0 कोड/जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी0बी0-III) एवं वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे रु0 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री दिनेश प्रसाद ठाकुर/ जे 5035/ 1.02.56/ पुनासी स्पिलवे प्रमण्डल, पुनासी, शिविर-देवधर	02.02.79	02.02.09	
2	श्री योगेन्द्र चौधरी/ जे 6419/ 7.01.54 / पुनासी स्पिलवे प्रमण्डल, पुनासी, शिविर-देवधर	31.01.79	31.01.09	
3	श्री बृजनन्दन प्रसाद सिंह/ जे 5167/ 15.11.49/ सिंचाई प्रमण्डल संख्या-1, बरहेट	03.02.79	03.02.09	

- अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम0ए0सी0पी0 के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।
- सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार.)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

ह-
(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवधर/कार्यपालक अभियंता, पुनासी स्पिलवे प्रमण्डल, पुनासी, शिविर-देवधर/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल संख्या-1, बरहेट, साहेबगंज /संबंधित कनीय अभियंता, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

ह-
(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-..... 6441

राँची, दिनांक..... 30-10-13

प्रतिलिपि :- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

ह-
(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

29/10/13

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/विविध-07-57/2013..... / राँची, दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-6674 दिनांक 23.11.2012 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, पी.बी.-III, ग्रेड पे रू.-7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	नियुक्ति की तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे रू. 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री रामाधीन सिंह जे 5033ए/ 12.04.54/ लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा	05.02.79	05.02.09	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई राँची/ कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा/ संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 6442 राँची, दिनांक :- 30-10-13
प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/विविध-07-58/2013..... / राँची, दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-2886 दिनांक 19.10.2011 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, पी.बी.-III, ग्रेड पे रू.-7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	नियुक्ति की तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे रू. 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री पारसनाथ सिंह जे 5102/20.02.57/ लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा	05.02.79	05.02.09	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई राँची/ कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमंडल, गढ़वा/ संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 6443 राँची, दिनांक :- 30-10-13
प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक-03/विविध-7-55/2013...../राँची, दिनांक :...../

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-2886 दिनांक 19.10.2011 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियन्ता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100 पी० बी०-III, ग्रेड पे 7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

क्र० सं०	सरकारी सेवक का नाम/ कार्यालय का नाम/ गृह जिला/आई० डी० कोड/ जन्म तिथि	नियुक्ति की तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम० ए० सी० पी० योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी० बी०-III) एवं वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे रू०-7600 देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री मुक्तेश्वर नाथ तिवारी जे 6909/03.01.1952/समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान, राँची अंचल-1	23.03.79	23.03.09	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो एम०ए०सी०पी० के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।
3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक:-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक:-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची/कार्यपालक अभियन्ता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान, अंचल-1, राँची को श्री मुक्तेश्वर नाथ तिवारी, कनीय अभियन्ता का सेवा पुस्त छायाप्रति भाग के साथ/ संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक:-

6447

राँची, दिनांक :-

30-10-13

प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

30/10/13

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/ सम्पुष्टि-06-51/2013..... / राँची, दिनांक : /

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5207 दिनांक 14.08.2002 तथा 1038 दिनांक 26.05.2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार जल संसाधन विभागान्तर्गत निम्नलिखित कनीय अभियंता को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से ए.सी.पी. योजना के तहत औपबंधिक रूप से स्वीकृत प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लाभ को एतद् द्वारा सम्पुष्टि किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ वर्तमान पदस्थापन	नियुक्ति की तिथि	12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत प्रथम वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान् 6500-10500 देय तिथि	24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान् 10000-15200 देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री पूर्णदेव राय/ जे 7248/ 07.12.54/ ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गुमला	06.07.79	09.08.99	06.07.03	

- उपर्युक्त कनीय अभियंता के संबंध में अगर यह पाया गया कि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के तहत लाभ नियमानुकूल नहीं है अथवा गलत सूचना के आधार पर दी गयी है तो लाभ संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।
- ए.सी.पी. योजना 09.08.1999 से लागू है, लेकिन वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ 15.11.2000 से देय है।
- सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची/ अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष अंचल, राँची/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गुमला को पूर्णदेव राय, कनीय अभियंता का सेवापुस्त दो भाग (मूल) के साथ/ संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

6459

राँची, दिनांक :- 30-10-13

प्रतिलिपि:- अवर सचिव(प्र.) प्रशाखा-02/ बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु.-यथोक्त।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

पत्रांक :-3/सम्पुष्टि-6-48/2013 ज.स..... राँची, दिनांक.....

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग,
आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या 1783 दिनांक 23.06.2011 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रुप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100 पी0बी0-III ग्रेड पे . 7600/- को एतद् द्वारा संपुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम/ कार्यालय का नाम/आई0 डी0 कोड/जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी0बी0-III) एवं वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे रु0 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री कृष्णानंद सिंह/ जे0 5786/ 02.01.1951/ रुपांकण प्रमण्डल संख्या-2, राँची	02.02.79	02.02.09	

- अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम0ए0सी0पी0 के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।
- सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार,)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार,)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, रुपांकण प्रमण्डल संख्या-2, राँची को श्री कृष्णानंद सिंह, सेवानिवृत्त कनीय अभियंता का सेवा पुस्त तीन भाग मूल में, के साथ/संबंधित सहायक अभियंता, चालु प्रभार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-..... 6458

राँची, दिनांक..... 30/10/13

प्रतिलिपि :- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

29/10/13

पत्रांक :-3/संपुष्टि-6-58/2013 ज.स..... राँची, दिनांक.....

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग,
आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या 262 दिनांक 27.01.12 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100 पी0बी0-III ग्रेड पे . 7600/- को एतद् द्वारा संपुष्टि किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम/ कार्यालय का नाम/आई0 डी0 कोड/जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी0बी0-III) एवं वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे रु0 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह/ जे0 4698/ 6.07.1956/ जलपथ प्रमण्डल संख्या-1, सिमडेगा	03.02.79	03.02.09	

- अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम0ए0सी0पी0 के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।
- सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार,
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(मनोज कुमार,
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल संख्या-1, सिमडेगा को श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, कनीय अभियंता का सेवा पुस्त छायाप्रति के साथ/संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

^{ह -}
(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

6473

राँची, दिनांक.....

31-10-13

प्रतिलिपि :- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

29/10/13

पत्रांक :-3/संपुष्टि-6-61/2013 ज.स..... राँची, दिनांक.....

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग,
आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या 262 दिनांक 27.01.12 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रुप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100 पी0बी0-III ग्रेड पे . 7600/- को एतद् द्वारा संपुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम/ कार्यालय का नाम/आई0 डी0 कोड/जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी0बी0-III) एवं वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे रु0 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री रामसुन्दर सिंह/ जे0 5666/ 16.12.1953/ तेनुधाट बॉध प्रमण्डल, तेनुधाट	31.01.79	31.01.09	

- अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम0ए0सी0पी0 के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।
- सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार,
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(मनोज कुमार,
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/कार्यपालक अभियंता, तेनुधाट बॉध प्रमण्डल, तेनुधाट को श्री रामसुन्दर सिंह, कनीय अभियंता का सेवा पुस्त छायाप्रति के साथ/संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-..... 6474

राँची, दिनांक..... 31-10-13

प्रतिलिपि :- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

29/10/13

पत्रांक :-3 / विविध-7-50 / 2012 ज.स..... राँची, दिनांक.....

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग,
आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या 2886 दिनांक 19.10.11 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100 पी0बी0-III ग्रेड पे 7600/- को एतद् द्वारा संपुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम/ कार्यालय का नाम/आई0 कोड/जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी0बी0-III) एवं वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे रु0 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अजय कुमार सिंह/ जे0 5420/ 01.02.1955/ सिंचाई प्रमण्डल, जसीडीह	31.01.79	31.01.09	

- अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम0ए0सी0पी0 के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।
- सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह
(मनोज कुमार,
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह
(मनोज कुमार,
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवधर/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, जसीडीह को श्री अजय कुमार सिंह, कनीय अभियंता का सेवा पुस्त मूल जिल्द में, के साथ/संबंधित सहायक अभियंता, चालु प्रभार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(मनोज कुमार.)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(मनोज कुमार.)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

31/10/17

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03 / सम्पुष्टि-06-41 / 2013..... / राँची, दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-2886 दिनांक 19.10.2011 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, पी.बी.-III, ग्रेड पे रू.-7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्टि किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	नियुक्ति की तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे रू. 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	मो. कमरुद्दीन गुण नियंत्रण प्रमंडल, जमशेदपुर /जे 5628 / 14.02.53	30.01.79	30.01.09	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना, चांडिल कम्पलेक्स, जमशेदपुर / कार्यपालक अभियन्ता, रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, जमशेदपुर को मो. कमरुद्दीन, कनीय अभियन्ता का सेवापुस्त (मूल) तीन भाग के साथ / संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 6479

राँची, दिनांक :- 31-10-13

प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / जेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03 / सम्पुष्टि-06-44 / 2013..... / राँची, दिनांक : /

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5207 दिनांक 14.08.2002 तथा 1038 दिनांक 26.05.2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार जल संसाधन विभागान्तर्गत निम्नलिखित कनीय अभियंता को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से ए.सी.पी. योजना के तहत औपबंधिक रूप से स्वीकृत प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लाभ को एतद् द्वारा सम्पुष्टि किया जाता है।

प्रथम एवं द्वितीय ए.सी.पी. सम्पुष्टि हेतु कनीय अभियंता की सूची।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ वर्तमान पदस्थापन	प्रथम वर्तमान नियुक्ति की तिथि	12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत प्रथम वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान 6500-10500 देय तिथि	24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान 10000-15200 देय तिथि	अभ्यु.
1	2	3	4	5	6
1	श्री सत्येन्द्र सिंह जे 6284ए/ 05.01.56/ जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग	02.02.79	09.08.99	02.02.03	

2. उपर्युक्त कनीय अभियंता के संबंध में अगर यह पाया गया कि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के तहत लाभ नियमानुकूल नहीं है अथवा गलत सूचना के आधार पर दी गयी है तो लाभ संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।

3. ए०सी०पी० योजना 09.08.1999 से लागू है, लेकिन वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ 15.11.2000 से देय है।

4. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/ अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, हजारीबाग/ कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, हजारीबाग को श्री सत्येन्द्र सिंह, कनीय अभियंता का सेवापुस्त मूल दो भाग के साथ/ संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

ज्ञापांक :-

6481

राँची, दिनांक :-

31-10-13

प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र०)

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03 / सम्पुष्टि-06-24 / 2013..... / राँची, दिनांक :

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या-2067 दिनांक 04.04.2013 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100, पी.बी.-III, ग्रेड पे रू.-7600/- को एतद् द्वारा सम्पुष्टि किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ कार्यालय का नाम	नियुक्ति की तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम.ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी.बी.-III) एवं वेतनमान 15600-39100, ग्रेड पे रू. 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री भवेश चन्द्र मिश्रा जे 6387 / 07.01.56 / लघु सिंचाई प्रमंडल, दुमका	01.02.79	01.02.09	

2. अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम.ए.सी.पी. के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी सम्पुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जायेगी।

3. सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-
प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई दुमका / कार्यपालक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमंडल, दुमका को श्री भवेश चन्द्र मिश्रा, कनीय अभियन्ता का सेवापुस्त (मूल जिल्द में) भाग के साथ / संबंधित कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :- 6483 राँची, दिनांक :- 31-10-13
प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची / वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

पत्रांक :-3/सम्पुष्टि-6-54/2013 ज.स..... राँची, दिनांक.....

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग,
आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या 6675 दिनांक 23.11.12 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100 पी0बी0-III ग्रेड पे 5400/- को एतद् द्वारा संपुष्ट किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम/ कार्यालय का नाम/आई0 डी0 कोड/ जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी0बी0-III) एवं वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे रु0 5400/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री सिद्धेश्वर पाठक/ जे0 7817/ 28.08.61/ ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, दुमका	20.01.87	01.09.2008	

- अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम0ए0सी0पी0 के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।
- सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन



(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।



(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, दुमका को श्री सिद्धेश्वर पाठक, कनीय अभियंता का सेवा पुस्त तीन भाग मूल में, के साथ/संबंधित सहायक अभियंता, चालु प्रभार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

Handwritten signature

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....*6491*.....

राँची, दिनांक.....*31-10-13*.....

प्रतिलिपि :- अवर सचिव (प्रबंधन)/प्रशाखा-2/बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

Handwritten signature
(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

Handwritten signature
25/10

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग,
आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 10770 दिनांक 31.12.1981, 5207 दिनांक 14.08.2002 तथा 1038 दिनांक 26.05.2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार जल संसाधन विभागान्तर्गत निम्नलिखित कनीय अभियंता को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति/ए0सी0पी0 योजना के तहत औपबधिक रुप से स्वीकृत प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लाभ को एतद् द्वारा संपुष्ट किया जाता है।

क्र० सं०	सरकारी सेवक का नाम/आई० डी० कोड/जन्मतिथि/वर्तमान पदस्थापन/नियुक्ति तिथि	प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की तिथि	प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति का आदेश संख्या	12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए०सी०पी० योजना के तहत स्वीकृत प्रथम वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान 6500-10500 देय तिथि	24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए०सी०पी० योजना के तहत स्वीकृत प्रथम वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान 10000-15200 देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री सतानंद प्रसाद / जे० 4917 / 31.03.1954 / सिंचाई प्रमण्डल, बड़हरवा / 02.02.1979	2.02.89	5564 / 27.8.90	09.08.1999	02.02.2003	

- इस कनीय अभियंता के संबंध में अगर यह पाया गया कि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के तहत लाभ नियमानुकूल नहीं है अथवा गलत सूचना के आधार पर दी गयी है तो लाभ संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।
- ए०सी०पी० योजना 09.08.1999 से लागू है लेकिन वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ 15.11.2000 से देय है।
- सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

(मनोज कुमार,)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवधर / अधीक्षण अभियंता सिंचाई अंचल, साहेबगंज/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बड़हरवा को श्री सतानंद प्रसाद, कनीय अभियंता का सेवा पुस्त दो भाग मूल के साथ/संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग,
आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 10770 दिनांक 31.12.1981, 5207 दिनांक 14.08.2002 तथा 1038 दिनांक 26.05.2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार जल संसाधन विभागान्तर्गत निम्नलिखित कनीय अभियंता को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति/ए0सी0पी0 योजना के तहत औपबंधिक रूप से स्वीकृत प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लाभ को एतद् द्वारा संपुष्ट किया जाता है।

क्र० सं०	सरकारी सेवक का नाम/आई० डी० कोड/जन्मतिथि/वर्तमान पदस्थापन/नियुक्ति तिथि	प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की तिथि	प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति का आदेश संख्या	12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए०सी०पी० योजना के तहत स्वीकृत प्रथम वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान 6500-10500 देय तिथि	24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए०सी०पी० योजना के तहत स्वीकृत प्रथम वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान 10000-15200 देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	स्व० श्याम नारायण भगत /जे० 4292/ 23.04.1948/ ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल संख्या-2, गढ़वा / 11.8.76	12.08.86	16052/ 21.12.87	09.08.1999	11.08.2000	

- इस कनीय अभियंता के संबंध में अगर यह पाया गया कि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के तहत लाभ नियमानुकूल नहीं है अथवा गलत सूचना के आधार पर दी गयी है तो लाभ संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।
- ए०सी०पी० योजना 09.08.1999 से लागू है लेकिन वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ 15.11.2000 से देय है।
- सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।


(मनोज कुमार,)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।


(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र राँची / अधीक्षण अभियंता ग्रामीण विकास विशेष अंचल, पलामू डाल्टेनगंज/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, संख्या-2 गढ़वा को स्व0 श्याम नारायण भगत, कनीय अभियंता का सेवा पुस्त दो भाग मूल के साथ/संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

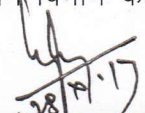

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।


(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/ सम्पुष्टि-06-35/2013...../ राँची, दिनांक :/

आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-5207 दिनांक 14.08.2002 तथा 1038 दिनांक 26.05.2005 में निहित प्रावधानों के अनुसार जल संसाधन विभागान्तर्गत निम्नलिखित कनीय अभियंता को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से ए.सी.पी. योजना के तहत औपबंधिक रूप से स्वीकृत प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लाभ को एतद् द्वारा सम्पुष्टि किया जाता है।

प्रथम एवं द्वितीय ए.सी.पी. सम्पुष्टि हेतु कनीय अभियंताओं की सूची।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम /आई.डी. कोड/जन्म तिथि/ वर्तमान पदस्थापन	नियुक्ति की तिथि	12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत प्रथम वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान 6500-10500 देय तिथि	24 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उत्क्रमण वेतनमान 10000-15200 देय तिथि	अभ्यु.
1	2	3	4	5	6
1	श्री रामदेव पंडित जे 5419/ 08.01.55/ सिंचाई प्रमंडल, कुण्डहित	05.02.79	09.08.99	05.02.03	

- उपर्युक्त कनीय अभियंता के संबंध में अगर यह पाया गया कि सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के तहत लाभ नियमानुकूल नहीं है अथवा गलत सूचना के आधार पर दी गयी है तो लाभ संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।
- ए.सी.पी. योजना 09.08.1999 से लागू है, लेकिन वित्तीय उन्नयन का वास्तविक लाभ 15.11.2000 से देय है।
- सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक:- राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, देवघर/ अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, जामताड़ा/ कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, कुण्डहित जामताड़ा को श्री रामदेव पंडित, कनीय अभियंता का सेवापुस्त मूल जिल्द में भाग के साथ/ संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह. / -
(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

ज्ञापांक :-

6494

राँची, दिनांक :- 31-10-13

प्रतिलिपि:- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/ वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार)
अवर सचिव (प्र.)

पत्रांक :-3/संपुष्टि-6-59/2013 ज.स..... राँची, दिनांक.....

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग,
आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या 6674 दिनांक 23.11.12 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100 पी0बी0-III ग्रेड पे 7600/- को एतद् द्वारा संपुष्टि किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम/ कार्यालय का नाम/आई0 डी0 कोड/जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी0बी0-III) एवं वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे रु0 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री श्याम नारायण शर्मा/ जे0 5333/ 05.01.1952/ ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, देवधर	8.02.79	8.02.09	

- अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम0ए0सी0पी0 के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।
- सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(मनोज कुमार,)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(मनोज कुमार,)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र राँची / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, देवधर को श्री श्याम नारायण शर्मा, कनीय अभियंता का सेवा पुस्त मूल तीन भाग के साथ/संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

29/10/13

पत्रांक :-3/संपुष्टि-6-57/2013 ज.स..... राँची, दिनांक.....

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग,
आदेश

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय आदेश संख्या 6996 दिनांक 7.12.12 द्वारा अधोवर्णित सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंता को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के तहत स्तम्भ-04 में वर्णित तिथि से औपबंधिक रूप से स्वीकृत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनमान 15600-39100 पी0बी0-III ग्रेड पे 7600/- को एतद् द्वारा संपुष्टि किया जाता है।

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम/ कार्यालय का नाम/आई0 डी0 कोड/जन्मतिथि	नियुक्ति तिथि	तीस वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत स्वीकृत तृतीय वित्तीय उत्क्रमण (पी0बी0-III) एवं वेतनमान 15600-39100 ग्रेड पे रु0 7600/- देय तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री रामकृपाल सिंह/ जे0 6000/ 02.01.1950/ लधु सिंचाई प्रमण्डल, गुमला	8.02.79	8.02.09	

- अगर गलत सूचना अथवा अन्य किसी कारण से यह पाया गया कि संशोधित वित्तीय उन्नयन का लाभ नियमानुकूल नहीं है तो उक्त एम0ए0सी0पी0 के तहत संशोधित उन्नयन के लाभ एवं उसकी संपुष्टि से संबंधित आदेश को निरस्त करते हुए अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली अधिकतम 12 (बारह) किस्तों में कर ली जाएगी।
- सम्पुष्टि आदेश पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह
(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह
(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....

राँची, दिनांक.....

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गुमला को श्री रामकृपाल सिंह, कनीय अभियंता का सेवा पुस्त मूल दो भाग के साथ/संबंधित कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

ह -
(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक :-.....6496.....

राँची, दिनांक.....31/10/13.....

प्रतिलिपि :- बायोडाटा कोषांग, जल संसाधन विभाग, राँची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

31/10/13
(मनोज कुमार,)

अवर सचिव (प्रबंधन)।

31/10/13